

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बदनोर (भीलवाडा)

प्रकरण संख्या- 97 / 2019

अनवान

सरकार जरिये प.ह. मोटरास बनाम श्री चम्पा पिता धर्मा रेगर सा. देह

निर्णय

दिनांक- 3.5.13

पत्रावली आज मुकाम बदनोर पर पेश हुई। अप्रार्थी श्री चम्पा पिता धर्मा रेगर सा. देह उपस्थित/अनुपस्थित प्रार्थी पटवारी हल्का मय रिकार्ड को उपस्थित प्रकरण सार निम्न प्रकार है कि-

पटवारी हल्का ने एक रिपोर्ट पेश की है कि श्री चम्पा पिता धर्मा रेगर सा. देह ने राजकीय भूमि आराजी नंबर- 2425 2426 किस्म- गै.मु. सड़क भूमि पर संवत् 2075 में अतिक्रमण कर चारदीवारी फसल काशत की हैं।

रिपोर्ट नाजायज कब्जे की प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस की तामील अप्रार्थी को विधिवत होने पर शामिल पत्रावली की गई।

अप्रार्थी ने उपस्थित होकर मौखिक रूप से अतिक्रमण होना स्वीकार किया है। अप्रार्थी नियमन की तारीफ में नहीं आता है। अतः अतिक्रमण घोषित किया जाता है। अतिक्रमण भू भाग ग्राम - मोटरास के आराजी नंबर- 2425 2426 रकबा- 0.05 है. लगानी- 0.08 के 50 गुणा से पनल्टी रूपये- 4 /- अक्षरे- चार रूपये आरोपित की जाती है। मौके पर खड़ी फसल तहवील सरकार ली जाकर निलागी कार्यवाही की जावे। आदेश की पालना में पटवारी हल्का को लिखा जावे। शास्ती की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार के यहां कराई जावे। पत्रावली फसल शुमार होकर नंबर से कम हो। ईजराय पत्रावली संधारित होकर पालना कराई जावे।

तहसीलदार बदनोर

जिला भीलवाडा